प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 05 – 12 अगस्त 2019 मूल्य पांच रूपए

जब सीमेन्ट और विद्युत परियोजनाओं के पास हज़ारों बीघे जमीन लीज पर है तो फिर धारा 118 कहां है

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के भूसुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रदेश में गैर कृषकों के कृषि भूमिक्रय करने पर पांबदी लगी हुई है कोई भी गैर हिमाचली, गैर कृषक प्रदेश में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ज़मीन नही खरीद सकता है। ऐसी ही पाबंदी देश के कई अन्य राज्यों मे भी उनके अपने – अपने कानूनों के तहत लगी हुई हैं। इन सारी पाबंदीयों का प्रावधान संविधान की धारा 371 में दिया हुआ है। जम्मू – कश्मीर में तो जमीन खरीद के साथ ही और भी कई प्रतिबन्ध थे और संविधान की धारा 370 इसी मकसद से लायी गयी थी बल्कि 370 के प्रावधानों को 35A लाकर और पुख्ता कर दिया गया था। अब जब धारा 370 को समाप्त करके जम्मू – कश्मीर में जमीन खरीद जैसी कोई भी पाबंदी वहां पर नही रही है तो स्वभाविक है कि देश के अन्य राज्यों में 371 और संविधान के पांचवे और नौवें शडयूल के तहत लगे प्रतिबन्धों को हटाने की मांग आयेगी ही। हिमाचल के संद्धर्भ में यह मांग दिल्ली से लेकर शिमला तक उठ चुकी है। यहां पर गैर कृषक मोर्चा ने वाकायदा एक पत्रकार वार्ता मे यह मांग उठाई है। बल्कि मोर्चे के नेताओं ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमन्त्री जयराम से मिलकर यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने इस मांग का समर्थन करते हुए यह कहा था कि इसमें विपक्ष रोड़ा अटका रहा है। धारा 118 के चक्रव्यूह मे प्रदेश के दोनों बड़े दल भाजपा और कांग्रेस एक बराबर फसे हुए हैं।

धारा 118 के गणित को समझने के लिये भूसुधार अधिनियम 1972 को समझने की आवश्यकता है। यह अधिनियम मूलत: कृषि भूमि का गैर कृषकों के हाथों में ट्रांसफर होने से रोकने के लिये बनाया गया था। 1972 में पारित हुए इस अधिनियम को संविधान के 40 वें संशोधन के बाद संविधान के नौवें शडयूल में डाला गया था। ताकि इसके प्रावधानों को अदालत में भी चुनौती न दी जा सके। लेकिन इसके बाद 1976, 1987, 1994 और 1997 को इसमें संशोधन किये गये। इन संशोधनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तो हासिल की गयी है लेकिन इन संशोधनों को संविधान के नौवें शडयूल में नही डाला गया है। 1972 में पारित किये गये मूल अधिनियम के अनुसार There is a total bar on transfer of land by way of sale, gift,exchange,lease ,mortgage with possession to one who was not an agriculturalist लेकिन इसकी उपधारा (2) में इसमें भूमिहीन मजदूर अनुसूचित जाति और जनजाति के भूमिहीन, गांवों के शिल्पकार और कृषि कार्यो पर आश्रित श्रमिकों को इसमें छूट दी गयी थी। फिर इसमें भूमि की परिभाषा को लेकर भी काफी विविधता थी।

इस तरह जितने भी संशोधन इस अधिनियम में आ चुके हैं उसमें इस अधिनियम की मूल भावना का पूरी तरह लोप हो चुका है। शायद इसलिये संशोधन को नौवें शडयूल से बाहर रखा गया है। यदि 1977 के बाद से जब से प्रदेश के आद्यौगिक विकास की लाईन ली गयी है तब से सरकार ही इसमें सबसे बड़ी उल्लंघनकर्ता बन गयी है। इन्ही उल्लंघनों के कारण सरकारों पर हिमाचल बेचने के आरोप लगते रहे हैं। इन्ही आरोपों के चलते बेनामी खरीदारीयों को लेकर तीन बार प्रदेश में जांच आयोग गठित हो चुके हैं। इनकी रिपोर्टो में हजारों की संख्या में सामने आये मामलों में आज तक कोई कारवाई सामने नही आयी है। जब मूल अधिनियम

में लीज के माध्यम से भी ज़मीन किसी गैर कृषक को नहीं दी जा सकती है तो फिर आज प्रदेश के सीमेन्ट उद्योग और जल विद्युत परियोजनाओं के पास हजारों बीघे जमीन कैसे है। वर्ष 2008 से 2011 के बीच प्रदेश में 19440 भू हस्तांतरण जी पी ए पर हुए हैं जिनमें से 1796 तो गैर कृषक और गैर हिमाचली हैं। जी पी ए के माध्यम से हुए इस हस्तांतरण की सूचना विधानसभा के पटल 13 – 3 – 2012 को एक प्रश्न के माध्यम से आयी है। मूल अधिनियम के अनुसार जी पी ए के माध्यम से हुआ हस्तांतरण गैर कानूनी है लेकिन इस पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है।

इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 118 की उल्लंघना सबसे अधिक सरकार कर रही है। आज प्रदेश में कितने ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार से अनुमकत लेकर ज़मीने खरीद रखी है कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक प्लाट खरीद रखे हैं। आज भी सरकार बाहर से निवेशको को लाने के लिये रोड शो कर रही है। इन निवेशकों के लिये दस हजार बीघे का लैण्ड बैंक सरकार ने बना रखा है। उद्योगों के लिये सरकार नीजि भूमि का अधिग्रहण कर रही है लेकिन क्या इस तरह से अधिग्रहण करके सरकार उद्योगों को जमीन बेच सकती है या लीज पर दे सकती है? यदि धारा 118 के मूल प्रावधानों को शुद्ध कानूनी रूप से आकलन किया जाये तो शायद सरकार ऐसा नही कर सकती है। इस परिदृश्य में यदि आज धारा 118 के औचित्य पर निष्पक्षता से विचार किया जाये तो अब इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिये। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारों में इसकी घोर उल्लंघना हुई और आज केवल राजनीति के लिये ही इसका विरोध किया जा रहा है।

धर्मशाला से धूमल की उम्मीदवारी चर्चा में भाजपा में नये समीकरणों के संकेत

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने टीसीपी में संशोधन के लिये एक मंत्री कमेटी का गठन किया है। लेकिन इस कमेटी में विभाग की मंत्री सरवीन चौधरी को ही बाहर रखा गया है। सरवीन चौधरी ने इस बाहर रखे जाने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। सरवीन चौधरी की इस नाराज़गी से पहले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला और प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा का द्वन्द भी सुर्खीयों में रह चुका है। पालमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी इन्दु गोस्वामी ने प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते हुए सरकार और संगठन पर गंभीर आरोप लगा रखे हैं। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया के तलख तेवर पिछले विधानसभा सत्रों में सामने आ चुके हैं और यह तेवर अभी अपनी जगह कायम है। कांगड़ा के सांसद किशन कपूर भी अब उनके बेटे की धर्मशाला उपचुनाव में दावेदारी को लेकर अपने तेवर दिखाने लग पड़े हैं। सूत्रों की माने तो कपूर शायद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये इसी आश्वासन पर तैयार हुए थे कि उनकी जगह उनके बेटे को उपचुनाव में उतारा जायेगा। उधर शान्ता कुमार के निकटस्थ राजीव भारद्वाज और राष्ट्रीय ट्राईबल मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर का नाम भी इस उपचुनाव के दावेदारों मे गिना जा रहा है।

लेकिन अब इन सारी चर्चाओं के बीच कांगड़ा नगरोटा भाजपा मण्डल के अध्यक्ष ने धर्मशाला उपचुनाव में पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल को यहां से उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी है। यह सही है कि भाजपा ने प्रदेश का 2017 विधानसभा चुनाव धूमल को नेता घोषित करने के परिणाम स्वरूप ही जीता था। विधानसभा चुवानों मे धूमल और उनके कई निकटस्थों का चुनाव हार जाना आज भी कई लोगों के लिये रहस्य ही बना हुआ है। बल्कि चुनाव हार जाने के बावजूद भी विधायकों का बहुमत धूमल के पक्ष में खड़ा था और दो विधायकों ने तो उनके लिये विधायकी से त्यागपत्र देने की भी पेशकश कर दी थी। लेकिन उस समय किसी तरह से जयराम ठाकुर का नाम सामने आ गया। जबकि सुरेश भारद्वाज, जगत प्रकाश नड्डा, और महेन्द्र सिंह ठाकुर सब जयराम से पार्टी में वरिष्ठ थे। जयराम के मुख्यमन्त्री बनने के बाद जंजैहली प्रकरण को लेकर जयराम और धूमल में मतभेद काफी गहरा गये थे। माना जाता है कि कुछ लोगों ने उस समय एक सुनियोजित योजना के तहत इन मतभेदों की भूमिका तैयार की थी। लेकिन जिस तरह से उस समय इन मतभेदों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया गया कि धूमल को यहां तक कहना पड़ गया कि सरकार चाहे तो सीआईडी से जांच करवा ले। उस समय मुख्यमन्त्री के गिर्द कुछ ऐसे सत्ता केन्द्र उभर गये थे जिनके कारण एक समय जयराम को भी यहां तक कहना पड़ गया था कि ''अब तो उन्हे मुख्यमन्त्री स्वीकार कर लो'' संयोगवश यह सत्ता केन्द्र आज भी मुख्यमन्त्री के गिर्द अपनी घेराबन्दी बनाये हुए है। चर्चा है कि एक सत्ता केन्द्र ने तो इसी अवधि में चण्डीगढ़ में एक दो करोड़ का मकान खरीद लिया है।

आज इसी सत्ता केन्द्र के कारण मुख्यमन्त्री के अपने कार्यालय के अधिकारी पत्र बम्बों के शिकार हो रहे हैं। बल्कि अब तो कई बैठकों के विडियों तक वायरल हो रहे हैं। सरकार को हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। व्यवहारिक स्थिति यह बन चुकी है कि सरकार की अधिकांश घोषणाएं जमीन पर नजर ही नही आ रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में बड़े नेताओं के मतभेद उभरते जा रहे है उसका धर्मशाला उपचुनाव पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। ऐसी वस्तुस्थिति में जिले के एक मण्डल द्वारा धूमल को धर्मशाला उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग

उठना एक बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका है। इस मांग से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में आज भी धूमल का एक स्थान बराबर बना हुआ है। यह माना जा रहा है कि जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं उन पर नियन्त्रण रखने के लिये धूमल जैसे अनुभवी नेता की ही प्रदेश को आवश्यकता है।

राज्यपाल ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय को देश में 11वां स्थान हासिल करने पर दी बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को देश के 75 कृषि विश्वविद्यालयों में 11वां स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

राज्यपाल ने राजभवन में उनसे शिष्टाचार भेंट करने आए कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कुलपति प्रो. अशोक सरयाल से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को अपने स्थान को और बेहतर करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने कृषि एवं पशु चिकित्सा कार्यक्रमों की 152 सीटों के लिए रिकॉर्ड 17000 आवेदन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कृषि क्षेत्र के विस्तार व शोध कार्य में विश्वविद्यालय ने सराहनीय कार्य की प्रशंसा की।

राज्यपाल ने जैविक व प्राकृतिक कृषि को और बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए तथा कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित सलाहकार समिति की बैठकों में वह स्वयं हिस्सा लेंगे और किसानों से सीधे तौर पर संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही विश्वविद्यालय का दौरा भी करेंगे।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. अशोक सरियाल ने गत तीन वर्षो के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से राज्यपाल को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष प्राकृतिक कृषि केंद्र स्थापित किया गया था, जो देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विस्तार विभाग, प्रति वर्ष 40 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे रहा है और उन्हें इस विभाग के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

राज्यपाल ने किया क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र का दौरा

मंडी/शैल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिमला के निकट क्रेगनेनो स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र का दौरा किया और वैज्ञानिकों के साथ अनुसंधान से संबंधित विस्तृत विचार-विमर्श किया। लेडी गवर्नर सत्यावती मिश्र भी राज्यपाल के साथ थीं। उन्होंने जैविक कृषि के उपयोग पर बल देते हुए सेब की इको फ्रेंडली किस्मों के उत्पादन को बढ़ाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि यह स्टेशन, डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां सेब की विभिन्न किस्मों पर शोध कार्य किया जा रहा है, जोकि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में यदि जैविक तरीके से अधिक उत्पादन वाली सेब की किस्मों के विकास पर भी कार्य किया जाए तो इस संस्थान का योगदान और बढ़ेगा।

राज्यपाल ने केंद्र में तैयार किये गए सेब के प्रदर्शनी उद्यान का अवलोकन भी किया। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा तैयार सेब की अच्छी फसल के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान की स्वच्छता को बनाये रखने और अच्छे रख रखाव के लिए संस्थान के अधिकारियों और स्टाफ की सराहना की।

निदेशक अनुसंधान डॉ. जे.एन. शर्मा तथा केंद्र के सह-निदेशक डॉ. पंकज गुप्ता ने राज्यपाल का स्वागत किया और केंद्र में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं शोध कार्यो से अवगत करवाया। उन्होंने केंद्र में तैयार की गई फूलों की विभिन्न किस्मों को भी दिखाया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समिति) मशोबरा का भी दौरा किया। राज्यपाल ने संस्थान के कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों एवं कृषि विस्तार के लिये ग्रामीण स्तर तक गुणात्मक प्रशिक्षण के लिये बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने व अधिक मजबूत करने में यह संस्थान और कारगर सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि यह संस्थान पिछले कई वर्षो से ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों से जुड़ा है तथा कृषि प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य में विस्तार एवं प्रबंधन का अग्रणी संस्थान होने के कारण भविष्य में भी यह संस्थान जिला खंड एवं ग्रामीण स्तर तक गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

जब-जब जनता सड़कों पर उतरी तभी पुलिस और प्रशासन हरकत में आया

शिमला/शैल। शिमला सिटीजन फोरम की तरफ से 10.08.2019 को शिमला में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के समर्थन में और देश में लगातार बढ़ रही

बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन आयोजित किया गया। वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्नाव बलात्कार की घटना को हुए आज दो वर्ष हो गए हैं, इस दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाता रहा। इन दो वर्षो में जिस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से पीड़िता और उसके परिवार को गुजरना पड़ा उसे शब्दों में ब्यान करना बेहद मुश्किल हैं। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया है, लेकिन यह भी जनता द्वारा लगातार दबाव बनाने के कारण ही संभव हो पाया है। परन्तु, अभी हमें लड़ाई को तब-तक जारी रखने की जरूरत है जब तक कि आरोपी कुलदीप सेंगर को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब-जब जनता ने सड़कों पर निकल कर अपनी आवाज बुलंद की है केवल तभी पुलिस और प्रशासन हरकत में आया है। इसलिए, इसी तरह आगे भी हमें एकजुट होकर महिला अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की जरुरत हैं। समाज में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के लिए वक्ताओं ने मुख्य रूप से भारतीय समाज के पोर-पोर में व्याप्त पितृसतात्मक और औरत विरोधी मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया है। पूंजीवादी मीडिया भी अलग-अलग माध्यमों से इन विचारों को खाद-पानी देने का काम लगातार जारी रखे हुए हैं। इसलिए, आज जनता के एक बड़े हिस्से तक प्रगतिशील विचारों को पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर पुस्तकालय, खेल-कूद क्लब, और फिल्म क्लब खोले जाने की भी सख्त आवश्यकता है। प्रदर्शन में नमिता, जयप्रकाश, रणवीर, प्रवेश, वैभव सागर, कमलदीप, समीर कश्यप, मनन, नीना, आमरीन, जोबेन, रीतिका, आयुषी, विकास थापटा, ऐडवोकेट एस.एच.पंवार, रणजोत, अभिषेक, गौरव और अन्य लोग शामिल रहे।

अनुच्छेद 370 का हटाया जाना देश हित में एक अतुल्य निर्णय: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। जय राम ठाकुर दिल्ली से शिमला जाते हुए सोलन में उपस्थित पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही।

जय राम ठाकुर ने इस ऐतिहासिक एवं बड़े निर्णय के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने एक कड़ा एवं ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर एवं देश हित में एक अतुल्य निर्णय लिया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, दो केंद्र शासित राज्यां में विभक्त कर और अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर के निवासियों एवं भारत को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर भारत के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पा रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी 4 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और इस दौरान उन्होंने लोगों की कठिनाइयों को बड़े समीप से देखा है। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के उपरांत जम्मू कश्मीर में देश के सभी जनहित के नियम एवं अधिनियम लागू हो पाएंगे जिससे अभी तक जम्मू कश्मीर की जनता महरूम थी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सुव्यवस्थित निर्णय से लद्दाख क्षेत्र की एक लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है। लद्दाख के एक केंद्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में आने के उपरांत क्षेत्र का पूर्ण भौगोलिक एवं संतुलित विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते जाएंगे इस क्षेत्र को राज्य के रूप में पुन: स्थापित करने करी दिशा में कार्य किया जाएगा।

उन्होंने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक एवं देशहित के निर्णय की बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में इसके लघु एवं दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट होंगे।

इस असवर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, प्रदेश भाजपा सचिव रत्न पाल, सोलन से विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी रहे डॉ. राजेश कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन केसी चमन, पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अधिकारी समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें:महेन्द्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। वे यहां विभाग के शिमला जोन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि उन्हें किसी प्रकार की मुश्किल हो तो वे उसकी सूचना उन्हें दें ताकि उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभाग की आगामी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा की तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 111 लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जोन के अधिकारियों के साथ 9 अगस्त को तथा धर्मशाला जोन के अधिकारियों के साथ 16 और 17 अगस्त को बैठक की जाएगी और उनके क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी के अतिरिक्त प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से 19 अगस्त से आरम्भ हो रहे विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में लोगों की पानी एवं सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके।

HP.PWD
TENDER NOTICE

Sealed item rate tenders are hereby invited on behalf of the Governor of HP for the following works from the eligible contractor enlisted in the appropriate class in HPPWD. So as to reach in the office of the **Executive Engineer, Shimla Division No-I, HPPWD** Shimla-3 on or before **30-08-2019 up to 1030 A.M.** The tenders will be opened on the same day at **11.00AM.** in the presence of the intending contractors or their authorized agents who may wish to be present. The applications for issue of tender forms shall be received **27-08-2019 from 10.00 A.M. to 4.00 P.M** alongwith FDR for the required amount. The tender form shall be issued on **29-08-2019 from 10.00 A.M. to 4.00 P.M.**

The intending contractors shall bring their registration letter renewal of their enlistment and proof of CST/GST/ otherwise the tender documents shall not be issued to them.

The earnest money as shown below shall accompany the tender in the shape of NCS/Time deposit receipt or post office Saving Bank Account in H.P. duly pledged in the name of Executive Engineer. The contractors who do not deposit the earnest money in the prescribed manner, their tender shall summarily be rejected without assigning any reason. The tenders offer shall be kept open for 120 days.

S.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Allowed	Form Cost
1.	Improvement of Shoghi Mehli Junga sadhupul road km. 12/375 to 48/925 (SH:- C/O R/wall at Rd. 34/272.50 to 34/284,34/284 to 34/291, 34/291 to 34/298, 34/374 to 34/381 & 34/381 to 34/388).	498828/-	10,000/-	60 days	350/-

Terms & Conditions:-
1. The contractor/firm shall have his GST No. and attested copy of the same be attached with the application for issue of tender form.
2. The contractor/firm should attach attested copy of registration/renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form.
4. Copy of EPF be attached with the application form.

Adv. No.1376/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इंस्टिच्यूशन ऑफ इंजीनियरज (भारत) के हिमाचल प्रदेश राज्य केन्द्र और राष्ट्रीय कौशल विकास फोरम (एनएसडीएफ) एवं जी.ई.टी एण्ड डी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित 'हिमालय ग्रिड के आधुनिकीकरण' विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों को

24 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और ग्रिड को और अधिक बेहतर और कुशल बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था क्षेत्र के इंजीनियरों के कौशल विकास में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को विद्युत ऊर्जा संभावनाओं से नवाजा है। आज तक देश में कुल 45000 मेगावॉट क्षमता का दोहन हुआ जिसमें हिमाचल का योगदान 11000 मेगावॉट क्षमता का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उपलब्ध ऊर्जा संभावनाओं के दोहन के लिए प्रतिबद्ध है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा जी.ई. टी एण्ड डी इंडिया लिमिटेड प्रदेश की ग्रिड अंधोरचना के आधुनिकीकरण के लिए 515 करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में वांगटू, गुम्मा, उर्नी, देहां, बरसैन और हाटकोटी में गैस इन्सूलैटिड सबस्टेशन की स्थापना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरे होते ही इनसे राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी होगी और इसे अंतरराज्य बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से भी जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' का सपना है जिसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सकता है तथा बेहतर ट्रांसमिशन सुविधाएं विकसित करके इससे संचालन व प्रबंधन के खर्च में भी कमी आएगी। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने 'ट्रांसमिशन लॉस' को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के स्तरोन्यन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आगामी बिजली परियोजनाओं से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे तथा कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

जय राम ठाकुर ने एनएसडीएफ और इंस्टिच्यूशन ऑफ इंजीनियरज हिमाचल प्रदेश को कार्यशाला के आयोजन पर बधाई देते हुए, कहा कि यह कार्यशाला इंजीनियरों को नई तकनीक से अवगत करवाने में मील पत्थर साबित होगी तथा इससे राज्य को भी लाभ पहुंचेगा।

जी.ई. टी एण्ड डी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुनील वाधवा ने कहा कि ज्ञान का आदान-प्रदान समाज व देश के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है तथा हमारा मुख्य लक्ष्य डिजीटाइजेशन ही होना चाहिए।

राष्ट्रीय कौशल विकास फोरम के अध्यक्ष ई. सुनील ग्रोवर ने कहा कि इंस्टिच्यूशन ऑफ इंजीनियरज (इंडिया) हिमाचल केन्द्र का मुख्य लक्ष्य तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना और ज्ञान के आदान-प्रदान से उनका कौशल उन्नयन करना है।

अध्यक्ष इंस्टिच्यूशन ऑफ इंजीनियरज (इंडिया) हिमाचल प्रदेश राज्य केन्द्र ई. आर.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का इस अवसर पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नौ लाख से अधिक इंजीनियर इंस्टिच्यूशन ऑफ इंजीनियरज (इंडिया) से जुड़े हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य केन्द्र की स्थापना 1988 में हुई थी और इसके लगभग चार हजार सदस्य हैं।

आई.जी.एम.सी. की नई ओ.पी.डी. को शीघ्र क्रियाशील बनाने के निर्देश

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को इंदिरा

गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आई.जी.एम.सी.) की नई ओ.पी.डी. को वर्ष के अन्त तक क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए तथा आई.जी.एम.सी. में बनने वाले ट्रॉमा सेन्टर के सम्बन्ध में हो रही प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने तथा आवश्यक पदों के सृजन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पैरा-मेडिकल और मेडिकल के पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

विपिन सिंह परमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दंत चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करे ताकि स्वीकृति हेतु मामला सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के भी हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

धारा-118 में छेड़छाड़ को लेकर दुष्प्रचार कर रही कांग्रेस:सत्ती

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल गया है। विपक्षी कांग्रेस तथा सत्ताधारी भाजपा के बीच इसको लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता धारा 118 में छेड़छाड़ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के दुष्प्रचार में प्रदेश की जनता नहीं आएगी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से सवाल किया कि वह धारा 118 में छेड़छाड़ के आरोपों के तथ्य क्या है। इनको कांग्रेस सार्वजनिक करे। सत्ती शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि धारा 118 में छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस नेता रटा रटाया राग अलाप रहे हैं कि भाजपा इसे समाप्त करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि धारा 118 से जितनी कांग्रेस जुटी है, उतनी भाजपा भी जुड़ी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा पर झूठा आरोप लगाने से पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 बात धारा 118 से छेड़छाड़ की है, जबकि भाजपा सरकार ने एक बार भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि उनके पास धारा 118 में छेड़छाड़ के आरोपों के तथ्य क्या है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार से कांग्रेस नेता बौखलाहट में है तथा जनता का ध्यान बांटने के लिए वह इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सकारात्मक राजनीति करने का सलाह दी। कांग्रेस को देश के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। तभी वह बच सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग धारा 118 का मामला उठाते हैं, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत विचार है। पार्टी के नहीं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग धारा 370 व 118 की आपस में तुलना कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि धारा 370 देश के सभी नागरिक को वंचित करने तथा अलगाववाद की विचारधारा है। लेकिन प्रदेश में पहाड़ी कृषकों की जमीन को बाहरी लोग ओने पोने दाम में न खरीद ले तथा प्रदेश के लोग भूमिहीन न हो जाएं, इसके लिए धारा 118 को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आवास बनाने, उद्योगों, होटलों व अन्य काम के लिए भी धारा 118 में केबिनेट में रिलेक्सेशन दी जाती है।

सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस के हिमाचल बचाओ अभियान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुर्गती का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि परमार की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में न तो पूर्व मुख्यमंत्री, न नेता प्रतिपक्ष और न ही परमार के परिवार के लोग शामिल हुए। कांग्रेस ने उप चुनावों में लाभ के लिए तथा गुटों में बंटी कांग्रेस को एक करने के लिए परमार के गांव से हिमाचल बचाओ अभियान शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन लगता है कि वह अब स्वयं ही इस अभियान को भूल गए हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से पूछा कि वह बताए कि यह अभियान कहां चल रहा है। साथ ही उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि प्रदेश को क्या खतरा है। वह किससे हिमाचल को बचाना चाहते हैं तथा प्रदेश में क्या विपत्ती आई है।

दिव्यांग विद्यार्थियों की खेलों में भागीदारी के लिए खेल नीति में होगा संशोधन:गोविंद ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के वन, परिवहन, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों को खेलों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की खेल नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र में विकास के अवसर मिल सकें।

गोविंद सिंह ठाकुर हिमाचल में पहली बार स्वयंसेवी संस्था उमंग फाऊंडेशन द्वारा शिमला जिले की बल्देहयां पंचायत में दृष्टिबाधित, मूक-बधिर एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष वन महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, संजौली महाविद्यालय, ढली स्थित विशेष स्कूल और पोर्टमोर स्कूल के 200 दिव्यांग विद्यार्थियों ने, फाऊंडेशन के सदस्यों और वन विभाग के सहयोग से करीब 250 देवदार के पौधे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत स्व. सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने और दो मिनट का मौन रखने से हुई। कार्यक्रम में राज्य बाल कल्याण परिषद् की महासचिव पायल वैद्य भी शामिल हुई।

वनमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने और समाज की मुख्यधारा में लाने में सहायता प्रदान करने के प्रो. श्रीवास्तव और उनकी संस्था एक अनुकरणीय कार्य कर रही है। उन्होनें दिव्यांग विद्यार्थियों और युवाओं को समान भागीदारी देने के लिए राज्य की युवा नीति और खेल नीति में संशोधन करने की घोषणा की। वनमंत्री ने पहला पौधा पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज की स्मृति में रोपते हुए कहा कि यह वन महोत्सव उनकी स्मृति को समर्पित है।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग व्यक्ति समाज में समान योगदान कर सकते हैं बशर्ते उन्हें इसके लिए पूरा मौका दिया जाए। उन्होंने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सहायता के लिए फाऊंडेशन को 15 लैपटॉप देने की घोषणा की। इस अवसर पर उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि उनका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों की क्षमताओं को सरकार एवं समाज के सामने लाकर उन्हें न्याय दिलाना है।

वन मंत्री ने इस अवसर पर विख्यात गायिका एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की दृष्टिबाधित विद्यार्थी मुस्कान को शाल एवं हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। उन्होनें उमंग फाऊंडेशन को दिव्यांग बच्चो के लिये अपनी ओर से 50 हजार रुपये देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम का संचालन दिव्यांग विद्यार्थियों ने किया।

प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार श्रमिकों के प्रति संवेदनशील है तथा उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ देश में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्त्वपूर्ण व बड़ा संगठन है, जो श्रमिकों व कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों को समय-समय पर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उनके निवारण के लिए प्रयासरत रहता है। संघ द्वारा प्रस्तुत की गई सभी मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने यह बात श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा भारतीय मजदूर संघ के साथ प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सदैव श्रमिकों के हित को ध्यान में रखा है। उनके आदेशानुसार प्रदेश में श्रमिकों व कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है। संघ प्रदेश सरकार की विचारधारा का एक विभिन्न अंग है तथा संघ को हर श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर उनके हित में कार्य करने चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष राकेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने संघ की विभिन्न मांगों को उद्योग मंत्री तथा उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया तथा सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।

उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

अनुच्छेद 370–सरकार की नीयत पर उठते सवाल

मोदी सरकार ने जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है। अब अनुच्छेद 370 के समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश को दो केन्द्र शासित राज्यों में पुर्नगठित कर दिया गया है जिसमें जम्मू–कश्मीर में तो विधानसभा होगी परन्तु लद्दाख कारगिल में नही। सरकार ने यह फैसला लेने का सबसे बड़ा कारण वहां फैला आतंकवाद और अलगावाद बताया है। सरकार के मुताबिक पुरानी व्यवस्था के तहत राज्य का विकास पूरी तरह रूक गया था जिसके कारण राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। सरकार ने जो कारण गिनाये हैं हो सकता है कि वह पूरी तरह सही हो। क्योंकि 2014 से केन्द्र में भाजपा की सरकार चली आ रही है और जम्मू–कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ सरकार बनाई। संभव है कि इस दौरान जो सूचनाएं उसके पास आयी हों उनके आधार पर सरकार का आकलन सही हो। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के लिये केन्द्र सरकार को राज्य में लोगों के नागरिक अधिकारों को कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ा है। वहां के गैर भाजपा राजनीतिक नेतृत्व को हिरासत में लेना पड़ा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्रियों को नजरबन्द करना पड़ा है। कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद और वाम नेता सीता राम येचूरी और डी राजा को प्रशासन ने श्रीनगर नही जाने दिया उन्हे एयरपोर्ट से ही वापिस कर दिया गया। पूरी घाटी मे दूर संचार व्यवस्था बन्द रखी गयी है।

स्कार के इन कदमों से यह स्वभाविक सवाल उठता है कि यदि अनुच्छेद 370 को हटाना राज्य के हित में है तो ऐसा करने से पहले सरकार वहां के राजनीतिक नेतृत्व और जनता को विश्वास में क्यों नही ले पायी? सरकार को ऐसा क्यों लगा कि भाजपा के अतिरिक्त कोई भी दूसरा इसमें सरकार पर विश्वास नही करेगा? ऐसा क्यों लगा कि भाजपा के अतिरिक्त दूसरे लोग राष्ट्रहित को नही समझते हैं। जबकि संसद में उन दलों के लोगों ने भी जो एनडीए के सहयोगी नही है ने भी समर्थन दिया है। इसी के साथ यह भी सच्च है कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने इसका विरोध किया है। इस विरोध और समर्थन से यही स्पष्ट होता है कि या तो इस विषय को भाजपा सहित सभी अपने–अपने राजनीतिक स्वार्थ के आईने से देख रहे हैं या फिर इसमें गंभीर वैचारिक मतभेद हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इस विषय पर एक खुली सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्र हित को परिभाषित करना किसी एक ही राजनीतिक दल का एकाधिकार नही रह जाता है चाहे वह सत्ताधारी दल ही क्यों न हो। फिर दुर्भाग्य से भाजपा की छवि लगातार मुस्लिम विरोधी बनती जा रही है और अब तो यह लगने लगा है कि शायद भाजपा एक सुनियोजित योजना के तहत इस छवि को बढ़ाती जा रही है। यह ध्रुवीकरण कालान्तर में लोकतन्त्र के लिये घातक सिद्ध होगा यह तय है।

भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में किसी भी मुस्लिम को अपनी पार्टी से चुनाव उम्मीदवार नही बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुई यह स्थिति आज 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यथास्थिति ही रही है। जो दल सबसे बड़ी सदस्यता वाला दल होने का दावा करे और उस दल में देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या में से कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिल पाये लोकसभा की चुनावी भागीदारी का हिस्सेदार न बनाया जा सके तो सामान्यत: यह किसी के भी गले नही उतरेगा। बल्कि हर कोई इसे जातिय और धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता कदम ही करार देगा और इस परिदृश्य में आज सरकार की नीयत पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्योंकि जहां अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू–कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार हासिल थे वैसे ही कुछ अधिकार अन्य दस राज्यों को भी अनुच्छेद 371 के तहत हालिस हैं। अब 371 के प्रावधानों को भी हटाने की चर्चा देश के उन राज्यों में उठना स्वभाविक है। संविधान के शैडयूल पांच में कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान हैं। देश के सभी राज्यों के 284 कानून संविधान के शैडयूल नौ में आते हैं। इनके खिलाफ देर सवेर आवाज उठना स्वभाविक है। हिमाचल के भूसुधार अधिनियम की धारा 118 को हटाने की मांग दिल्ली से लेकर शिमला तक स्वर लेने लगी है। स्वभाविक है कि जब धारा 370 को समाप्त किया जा सकता है तो फिर अन्य धाराओं के ऐसे ही प्रावधानों को समाप्त क्यों नही किया जा सकता। आने वाले दिनों में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा।

अनुच्छेद 370 को हटाने वाले राष्ट्रपति के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और शीर्ष अदालत ने इसे लंबित रख दिया है। इस परिदृश्य में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि अनुच्छेद 370 और 35 A है क्या। 35 A की लम्बे अरसे से शीर्ष अदालत में चुनौती मिली हुई है और वहां यह मुद्दा लंबित चला आ रहा है क्योंकि केन्द्र ने इस पर कोई जवाब दायर नही किया है। स्मरणीय है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के समय जम्मू–कश्मीर एक स्वायत और सार्वभौमिक राज्य था जिसने 26 अक्तूबर 1947 को भारत में विलय किया। लेकिन यह विलय विदेशी मामलों, दूर संचार और रक्षा के मामलों में ही था। अन्य मामलों में केन्द्र का कोई भी कानून वहां के शासक की पूर्व अनुमति के बिना लागू नही होगा। इस तरह जम्मू–कश्मीर की संप्रभता अपनी जगह बनी रही क्योंकि यह अन्य राज्यों की तर्ज पर नही था और इसी को सुनिश्चित करने के लिये संविधान में धारा 370 का प्रवधान किया गया था। इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के ग्यारह जजों की पीठ ने 1971 में माधव राव मामले में माना है। 1952 के दिल्ली समझौते के बाद 370 के प्रावधानों को और पुख्ता करने के लिये 35 A जोड़ा गया था। 2015 में जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय में आये मुबारिक शाह नक्शबन्दी मामले में अदालत ने यह कहा कि In Jammu and Kashmir, the immovable property of a State subject/ citizen, cannot be permitted to be transferred to a non State subject. This legal and constitutional protection is inherent in the State subjects of the State of Jammu and Kashmir and this fundamental and basic inherent right cannot be taken away in view of peculiar and special constitutional position occupied by State of Jammu and Kashmir. Article 35-A is clarificatory provision to clear the issue of constitutional position obtaining in rest of country in contrast to State of Jammu and Kashmir. This provision clears the constitutional relationship between people of rest of country with people of Jammu and Kashmir'

यही नही केन्द्र और जम्मू–कश्मीर के संबंधों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 1959 में प्रेम नाथ कौल मामले में भी ऐसी ही व्याख्या की है। इस तरह जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में अपनाई गयी प्रक्रिया का सवाल उस परअब तक जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आये विभिन्न मामलों में अदालत की जो व्याख्या रही है उसके मुताबिक केन्द्र की नीयत पर गंभीर सवाल उठते हैं। आज इस मामले में शीर्ष अदालत जो भी व्याख्या करेगी उसके परिणाम दूरगामी होंगे। क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य आज बना हुआ है यह आवश्यक नही है कि वही अब स्थायी बना रहेगा। केन्द्र के इस कदम ने शीर्ष न्यायपालिका के लिये भी एक परीक्षा की स्थिति पैदा कर दी है।

भारत के वे दो महान स्वतंत्रता सैनानी जिन्होंने दुनिया का वैचारिक भूगोल बदल दिया

''गौतम चौधरी''

इन दिनों अपने देश में एक नया चलन प्रारंभ हुआ है। जब हम राष्ट्रवाद, संस्कृति–सभ्यता और परंपराओं की बात करते हैं तो उसमें हिन्दू इतिहास और पौराणिक मिथकों का ही समावेश करते हैं और उसी को स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में दुनियाभर के प्रयोग हुए हैं। कुछ भी कह लें लेकिन यही सत्य है कि भारत की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। इस संस्कृति के निर्माण में उन सभी सभ्यताओं के बराबर की भूमिका है, जो यहां आए और बसे। कुछ जंगी आए तो कुछ तिजारत करने आए और कुछ हमसे सीखने भी आए लेकिन वे यहां के होकर रह गए। वो जो लेकर आए थे उसे भी हमने संजोया और अपना जो था उसे भी न खोया। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आजकल हम जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करने लगते हैं तो उसमें मुस्लिम समुदाय के योद्धाओं को भुला देते हैं। यह उन योद्धाओं के साथ अन्याय है। दरअसल, हम फिरंगियों के झांसे में आ गए और हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पर दो देश बन गए और हम लोगों ने भी मान लिया कि मुस्लिम स्वतंत्रता सैनानियों को याद और सम्मान करने की जिम्मेवारी पाकिस्तान की और हिन्दू स्वतंत्रता सैनानियों की जिम्मेवारी हिन्दुस्तान की है। हम भले ही राजनीतिक राष्ट्र की भावनाओं में राजनीतिक राष्ट्र के हिसाब से कुछ स्वार्थों के लिए उन्हें बांट लिए हों पर हमारी सांझी लड़ाई और सांझी विरासत को कोई कैसे झुठला सकता है। मैं समय समय पर इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। आज भी उठा रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। पूरा देश इस उत्सव में भाग लेगा और जश्न मनाए जाएंगे। आज हम उन भूले–बिसरे स्वतंत्र समर के योद्धाओं को याद करेंगे जिन्हें पाकिस्तान के भरोसे छोड़ दिया है।

जो अगनित लघु दीप हमारे,
तूफानों के एक किनारे,
जल–जल कर बुझ गए,
किसी दिन स्नेह मुह खोल,
कलम आज उसकी जै बोल।
– राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर

तो आईए जानते हैं उन महान योद्धाओं को: –

– मिर्जा बिरजिस खादिर

खादिर बहादुर साहब अवध के रहने वाले थे। ये उसी अवध के रहने वाले थे, जहां के राजा राम थे। मिर्जा खादिर साहब ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को परिवार सहित कुर्बान कर दिया। आप अवध के नवाब तथा बेगम हजरत महल के बेटे थे। आपका जन्म 20 अगस्त, सन् 1845 में हुआ था। छोटी उम्र में ही 7 जुलाई, सन् 1857 में वे अवध के शासक बन गए। अपने 10 महीने के शासनकाल में उन्हें अंग्रेजी सेना के भीषण आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दरअसल, अंग्रेज उनकी ताजपोशी से सहमत नहीं थे। इस सेना को नवाब तथा स्थानीय योद्धाओं की वीरता के कारण वापस लौटना पड़ा। बाद में रानी विक्टोरिया की तरफ से 1 नवम्बर, सन् 1858 को एक फरमान जारी हुआ। जिसमें उन्होंने बिरजिस खादिर के शासन को नकार दिया। तदुपरांत कंपनी की सेना ने जनरल हैवलोक तथा आउट्रान की अगुवाई में लखनऊ को घेर लिया। यद्यपि लखनऊ के लोगों ने खादिर बहादुर के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया परंतु वे इस युद्ध को जीत नहीं पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि बिरजिस खादिर बहादुर को अपने परिवार के साथ नेपाल के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संगठित युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने बिरजिस खादिर और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश रची। उन्हें बातचीत के लिए सपरिवार कोलकाता आमंत्रित किया गया, जहां बिरजिस खादिर, उनकी पत्नी व बेटे को खाने में जहर देकर मार दिया गया। 14 अगस्त, सन् 1893 को मिर्जा बिरजिस खादिर अंग्रेजों की धोखे से की गयी साजिश का शिकार हो गए। वे जहर नहीं झेल पाए तथा परिवार सहित शहीद हो गए।

मौलाना बरकतुल्लाह साहब–बरकतुल्ला साहब भारतीय स्वतंत्र समर के एक समर्पित सैनानी थे। बता दें कि वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त किया। बरकतुल्ला साहब का जन्म 7 जुलाई, सन् 1854 को ईटवरा मोहल्ला, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। वे अपने तेजतर्रार भाषण और अखबारों में लिखे लेखों के कारण जल्द मशहूर हो गए। उनके भाषण व लेख इतने मारक होते थे कि फिरंगियों के होश उड़ जाते थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। उसी समय वे देश के नामी स्वतंत्रता संग्रामी लाला हरदयाल और राजा महेन्द्र प्रताप के संपर्क में आए। उन दिनों ये दोनों नेता भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन को और तेज करने के लिए अफगानी सरकार के समर्थन के अलावा जर्मनी के हिटलर और रूस के लेनिन आदि से मिलने के प्रयास में थे। वे 1913 में सेन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वे 'पैन–आर्यन एसोसिएशन' को भी अपना समर्थन देते थे तथा स्वामी विवेकानंद व स्वामी अभेदानंद जैसे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के योद्धाओं से भी प्रभावित थे। उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन में भी भागीदारी की। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के विस्थापन की भी आलोचना की। अपने लंबे विदेश दौरे के बाद वे सन् 1908 में भारत लौटे और विवेकानंद के भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त के साथ मिलकर एक अखबार 'फ्री हिन्दुस्तान' का संपादन प्रारंभ किया। हालांकि वे इस अखबार से लंबे समय तक नहीं जुड़ पाए और एक बार फिर भारतय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करने के लिए विदेश दौरे पर निकल गए। इसके बाद काबुल में देश की पहली निर्वासित सरकार का उन्होंने गठन किया। इसमें राजा महेन्द्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया और खुद प्रधानमंत्री बने। मौलाना उबेदुल्लाह सिंधी को गृहमंत्री बनाया। कई कारनामों को अंजाम देने वाले बरकतुल्ला साहब का देहांत 20 सितंबर, सन् 1927 को हुआ। इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में अफगान सरकार ने बरकतुल्ला साहब के मिशन से अपना हाथ खींच लिया। आज उनके नाम से भोपाल में एक विश्वविद्यालय है। याद रहे बरकतुल्ला साहब के चिंतन पर ही आज देश का शासन चल रहा है। एम. बरकतुल्ला के नाम से जाने जाने वाले भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी कुछ मित्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय काम्युनिस्ट काग्रेस में भाग लेने मास्को भी गए थे लेकिन लेनिन ने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में सहयोग की सहमति प्रदान नहीं की और इसी बात को लेकर लेनिन व दुनिया के महान साम्यवादी नेता, विचारक व चिंतक मानवेन्द्र नाथ राय के बीच गतिरोध पैदा हो गया। यदि वे जिंदा होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता और अफगानिस्तान आतंकवादियों का नहीं दक्षिण एशिया के बुद्धिजीवियों का गढ होता।

धारा 370 के हटने का पहला शिकार लोकतंत्र

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

डायल किये गये नंबर पर इस समय इन–कमिंग काल की सुविधा नहीं है....'इधर लोकतंत्र के मंदिर संसद में धारा 370 खत्म करने का एलान हुआ और उधर कशमीर से सारे तार काट दिये गये। घाटी के हर मोबाइल पर संवाद की जगह यही रिकार्डिड जवाब 5 अगस्त की सुबह से जो शुरु हुआ वह 6 अगस्त को भी जारी रहा। यूं भी जिस कश्मीरी जनता की जिन्दगी को संवारने का वादा लोकतंत्र के मंदिर में किया गया उसी जनता को घरों में कैद रहने का फरमान भी सुना दिया गया। तो लोकतंत्र को लाने के लिये लोकतंत्र का ही सबसे पहले गला जिस तरह दबाया गया उसके अक्स का सच तो ये भी है कि ना कशमीरी जनता से कोई संवाद या भरोसे में लेने की पहल हुई ना ही संसद के भीतर किसी तरह का संवाद। और सीधे जिस अंदाज में जम्मू कशमीर राज्य भी केन्द्र शासित राज्य में तब्दिल कर दिल्ली ने अपनी शासन व्यवस्था में ला खडा किया उसने पहली बार खुले तौर पर मैसेज दिया अब दिल्ली वह दिल्ली नहीं जो 1988 की तर्ज पर जम्मू कश्मीर चुनाव को चुरायेगी। दिल्ली 50 और 60 के दशक वाली भी नहीं जब संभल संभल कर लोकतंत्र को जिन्दा रखने का नाटक किया जाता था। अब तो खुले तौर पर संसद के भीतर बाहर कैसे सांसदो और राजनीतिक दलो को भी खरीद कर या डरा कर लोकतंत्र जिन्दा रखा जाता है, ये छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योकि लोकतंत्र की नाटकीयता का पटाक्षेप किया जा चुका है। अब लोकतंत्र का मतलब खौफ में रहना है। अब लोकतंत्र का मतलब राष्ट्रवाद का ऐसा गान है जिसमें धर्म का भी धरुवीकरण होना है और किसी संकट को दबाने के लिये किसी बडे संकट को खड़ा कर लोकतंत्र का गान करना है।

पर इसकी जरूरत अभी ही क्यों पड़ी या फिर बीते दस दिनो में ऐसा क्या हुआ जिसने मोदी सत्ता को भीतर से बैचेन कर दिया कि वह किसी से कोई संवाद बनाये बगैर ही ऐसे निर्णय ले लें जो भारत के भीतर और बाहर के हालातों के केन्द्र में देश को ला खडा करें। तो संकट आर्थिक है और उसे किस हद तक उभरने से रोका जा सकता है इस सवाल का जवाब मोदी सत्ता के पास नहीं है। क्योकि खस्ता इक्नामी के हालात पहली बार कारपोरेट को भी सरकार विरोधी जुबां दे चुके है और कारपोरेट प्रेम भी जब सेलेक्टिव हो चुका है तो फिर सलेक्टिव को सत्ता लाभ तो दिला सकती है लेकिन सलेक्टिव कारपोरेट के जरीये देश की इक्नामी पटरी पर ला नहीं सकती। किसान–मजदूर–गरीबों को लेकर जो वादे लगातार किये है उससे हाथ पीछे भी नहीं खिंच सकते। यानी बीजेपी का पारंपरिक साथ जिस व्यापारी–कारपोरेट का रहा है उस पर टैक्स की मार मोदी सत्ता में सबसे भयावह तरीके से उभरी है। तो आर्थिक संकट से ध्यान कैसे भटकेगा। क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि अब कश्मीर में पूंजीपति जमीन खरीदेगा तो ये भी भ्रम है। क्योकि पूंजी कभी वहां कोई नहीं लगाता जहा संकट हो। लेकिन कशमीर की नई स्थिति रेडिकल हिन्दुओं को घाटी जरूर ले जायेगी। यानी लकीर बारिक है लेकिन समझना होगा कि नये हालात में हिन्दु समाज के भीतर उत्साह है और मुस्लिम समाज के भीतर डर है। यानी 1989–90 के दौर में जिस तरह कशमीरी पंडितो का पलायन घाटी से हुआ अब उनके लिये घाटी लौटने से ज्यादा बडा रास्ता उन कट्टर हिन्दुओं के लिये बनाने की तैयारी है जिससे घाटी में अभी तक बहुसंख्यक मुसलमान अल्संख्यक भी हो जाये, दूसरी तरफ आर्थिक विषमता भी बढ़ जाये। और सबसे बडी बात तो ये है कि अब कशमीर के मुद्दों या मुश्किल हालात का समाधान भी राज्य के नेता करने की स्थिति में नहीं होगें। क्योंकि सारी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। जो सीएम की सुनेगा नहीं। यानी सेकेंड ग्रेड सीटीजन के तौर पर कश्मीर में भी मुस्लिमों को रहना होगा। अन्यथा कट्टर हिन्दुओं की बहुतायत सिविल वार वाले हालात पैदा होंगे। दरअसल कश्मीरी की नई नीति ने आरएसएस को भी अब बीजेपी में तब्दिल होने के लिये मजबूर कर दिया। यानी अब मोदी सत्ता को कोई भय आर्थिक नीतियों को लेकर या गवर्नेंस को लेकर संघ से तो कतई नहीं होगा क्योकि संघ के एंजेडे को ही मोदी सत्ता ने आत्मसात कर लिया है। याद किजिये 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर लगे प्रतिबंध ने संघ की साख खत्म कर दी थी और जब संघ पर से बैन खत्म हुआ तो सामने मुद्दो का संकट था। ऐसे में 21 अक्टूबर 1951 में जब जंनसघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब पहले घोषणापत्र में जिन चार मुद्दों पर जोर दिया गया उसमें धारा 370 का विरोध यानी जम्मूकश्मीर का भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण और अल्संख्यकों को किसी भी तरह के विशेषाधिकार का विरोध मुख्य था। और ध्यान दें तो जून 2002 में कुरुक्षेत्र में हुई संघ के कार्यकारी मंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर के समाधान के जिस रास्ते को बताया गया और बकायदा प्रस्ताव पास किया गया। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने शब्दश उसी प्रस्ताव का पाठ किया। सिवाय जम्मू को राज्य का दर्जा देने की जगह केन्द्र शासित राज्य के दायरे में ला खड़ा किया।

तो आखरी सवाल यही है कि क्या कश्मीर के भीतर अब भारत के किसी भी प्रांत से किसी भी जाति धर्म के लोग देश के किसी भी दूसरे राज्य की तरह जाकर रह सकते है, बस सकते हैं। तो क्या कश्मीरी मुसलमानो को भी देश के किसी भी हिस्से में जाने–बसने या सुकुन की जिन्दगी जीने का वातावरण मिल जायेगा। क्योंकि कश्मीर में अब सत्ता हर दूसरे राज्य के व्यक्तियों के लिये राह बनाने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल को भेज चुकी है। लेकिन कश्मीर के बाहर कश्मीरियों के लिये जब शिक्षा–रोजगार तक को लेकर संकट है तो फिर उसका रास्ता कौन बनायेगा।

कश्मीर अभी इम्तिहान आगे और भी है

–डॉ. नीलम महेंद्र–

कश्मीर में 'कुछ बड़ा होने वाला है' के सस्पेंस से आखिर पर्दा उठ ही गया। राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने उस ऐतिहासिक भूल को सुधार दिया जिसके बहाने पाक सालों से वहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल होता रहा लेकिन यह समझ से परे है कि कश्मीर के राजनैतिक दलों के महबूबा मुफ्त, फारूख अब्दुल्ला सरीखे नेता और कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जो कल तक यह कहता था कि कश्मीर समस्या का हल सैन्य कार्यवाही नहीं है बल्कि राजनैतिक है, वो मोदी सरकार के इस राजनीतिक हल को क्यों पचा नहीं पा रहे हैं। शायद इसलिए कि मोदी सरकार के इस कदम से कश्मीर में अब इनकी राजनीति की कोई गुंजाईश नहीं बची है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? घरेलू मोर्चे पर भले ही मोदी सरकार ने इसके संवैधानिक कानूनी राजनैतिक आंतरिक सुरक्षा और विपक्ष समेत लागभग हर पक्ष को साधकर अपनी कूटनीतिक सफलता का परिचय दिया है लेकिन अभी इम्तिहान आगे और भी है।

क्योंकि पाक की घरेलू राजनीति, उसके चुनाव सब कश्मीर के इर्दगिर्द ही घूमते हैं तो नापाक पाक इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। चूंकि भारत सरकार के इस कदम से अब कश्मीर पर स्थानीय राजनीति का अंत हो चुका है और प्रशासन की बागडोर पूर्ण रूप से केंद्र के पास होगी, पाक के लिए अब करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शायद इसलिए उसने अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है और वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने भी लगा है। हालांकि वैश्विक पटल पर भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी संभावना कम ही है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी देश दखल दे और पाकिस्तान का साथ दे। बालाकोट स्ट्राइक पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया इसका प्रमाण है।

इसलिए जो लोग इस समय घाटी में सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती, कर्फ्यू, धारा 144, क्षेत्रीय दलों के नेताओं की नजरबंदी को लोकतंत्र की हत्या या तानाशाहपूर्ण रवैया कह रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाक की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से घाटी में कश्मीरियों के विद्रोह के नाम पर हिंसा की आग सुलगाई जाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्च पर यह संदेश दे पाए कि भारत कश्मीरी आवाम की आवाज को दबा कर कश्मीर में अन्याय कर रहा है और मानवाधिकारों के नाम पर यू एन और अंर्तराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों को दखल देने के लिए बाध्य करे। इसलिए केंद्र सरकार के इन कदमों का विरोध करके ना सिर्फ वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं बल्कि एक आम कश्मीरी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि विगत 70 सालों ने यह साबित किया है कि धारा 370 वो लौ थी जो कश्मीर के गिने चुने राजनैतिक रसूख वाले परिवारों के घरों के चिरागों को तो रोशन कर रही थी लेकिन आम कश्मीरी के घरों को आतंकवाद अशिक्षा और गरीबी की आग से जला रही थी। संविधान की धारा 370 और 35 ए ने कश्मीर में अलगाववाद की आग को कट्टरपंथ और जेहाद के उस दावानल में तब्दील कर दिया था कि पूरा कश्मीर हिंसा की आग से सुलग उठा और बुरहान वाणी जैसा आतंकी वहाँ के युवाओं का आदर्श बन गया। जब 21वीं सदी के भारत के युवा स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए उद्यमी बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भविष्य के भारत की सफलता के किरदार बनने के लिए तैयार हो रहे थे तो कश्मीर के युवा 500 रूपए के लिए पत्थरबाज बन कर भविष्य के आतंकवादी बनकर तैयार हो रहे थे। जी हाँ सेना के एक सर्वे के हवाले से यह बात सामने आई थी कि आज का पत्थर फेंकने वाला युवक ही कल का आतंकवादी होता है। सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों से देश जानना चाहता है कि 370 या 35ए से राज्य के दो चार राजनैतिक परिवारों के अलावा किसी आम कश्मीरी को क्या फायदा मिला? यही कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे अवसर नहीं मिले? उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलीं? हिंसा के कारण वहाँ का पर्यटन उद्योग पनप नहीं पाया? जो छोटा मोटा व्यापार था वो भी आए दिन के कर्फ्यू की भेंट चढ़ जाता था? क्या हम एक आम कश्मीरी की तकलीफ का अंदाजा गृहमंत्री के राज्यसभा में इस बयान से लगा सकते हैं कि वो एक सीमेंट की बोरी की कीमत देश के किसी अन्य भाग के नागरिक से 100 रूपए ज्यादा चुकाता है सिर्फ इसलिए कि वहाँ केवल कुछ लोगों का रसूख चलता है? क्या हम इस बात से इंकार कर सकते हैं कि अब जब सरकार के इस कदम से राज्य में निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, खुशहाली बढ़ेगी इससे वो कश्मीर जो अबतक 370 के नाम पर अनेक राजनैतिक कारणों से अलग थलग किया जाता रहा था अब देश की मुख्यधारा से आर्थिक रूप से जुड़ सकेगा। इसके अलावा अपने अलग संविधान और अलग झंडे के अस्तित्व के कारण जो कश्मीरी आवाम आजतक भारत से अपना भावनात्मक लगाव नहीं जोड़ पाई अब भारत के संविधान और तिरंगे को अपना कर उसमें निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का आगाज होगा जो धीरे धीरे उसे भारत के साथ भावनात्मक रूप से भी जोड़ेगा। बस जरूरत है आम कश्मीरी के उस नैरेटिव को बदलने की जो बड़ी चालाकी से सालों से उसे मीठे जहर के रूप में दिया जाता रहा है भारत के खिलाफ भड़का कर जो उसे भारत से जुड़ने नहीं देता। जरूरत है आम कश्मीरी के मन में इस फैसले के पार एक नई खुशहाल सुबह के होने का विश्वास जगाने की, उनका विश्वास जीतने की। कूटनीतिक और राजनैतिक लड़ाई तो मोदी सरकार जीत चुकी है लेकिन उसकी असली चुनौती कश्मीर में सालों से चल रहे इस रणनीतिक युद्ध को जीतने की है।

मंत्रिमण्डल ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिये 'दिव्यांगता प्रकोष्ठ' स्थापित करने का लिया निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति संतान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि अधिकतम दो संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।

मंत्रिमण्डल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि अगले पांच वर्षों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जा सके। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में 'दिव्यांगता प्रकोष्ठ' स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा सुन्नी, कालेहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा दो नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी।

मण्डी जिले के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संतुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस सब स्टेशन के लिए तीन वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल द्वारा प्रदेश के जम्मू व कश्मीर सीमा से सटे चम्बा व लाहौल-स्पीति क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी में एक ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का निर्णय लिया तथा इस आफिस के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर जिला के मारकण्डा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बछवाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी। ऊना जिला के बसदेहरा में ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए तीन पद सृजित किए गए।

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मंत्रिमण्डल द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके

लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए।

मंत्रिमण्डल द्वारा जोनल अस्पताल मण्डी, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तथा सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सुविधा सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई, जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्ते इन संस्थानों में छः माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति माह होने चाहिए।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के गड़ागुसाई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।

मण्डी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहां तथा जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि जिला मण्डी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा और सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने तथा इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम-2019 को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत अब पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे और परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे कार्य सम्बन्धित जिलों के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की देख-रेख में किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने तथा विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने इस वर्ष से जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहले से आरम्भ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को जारी रखने तथा इसमें अब कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी को भी शामिल कर लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान और कम्पोजिट फैंसिंग पर 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले केवल सोलर फैंसिग ही इस योजना में लगाई जा सकती थी।

बैठक में पॉलीहाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने तथा किसानों को प्रशिक्षण और जागरूक बनाने जैसी गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 78.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना (प्रथम चरण) आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में लिपिकों के 10 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में लिपिकों के चार पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा इन पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिनके लिए तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व जमा दो परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है तथा इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य बनाया गया है। ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी।

मंत्रिमण्डल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रिशिन तथा स्वींग टैक्नालॉजी के नए व्यवसाय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलैक्ट्रिशियन आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया।

प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे 13 बलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाईल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हांगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केन्द्रों के साथ जुड़े होंगे।

बैठक में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' तथा 'हिम केयर' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मण्डी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में 'आरोग्य मित्र' का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पैशिएलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल ईम्यूनोलॉजी एण्ड रियुमैटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ताकि मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018 के विलय के उपरान्त आरम्भ की गई इस नई योजना के अन्तर्गत और अधिक युवाओं को लाभ पहुंच सके। मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उप-मण्डल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबन्धन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

हिमाचल सरकार हर व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। करसोग विधानसभा क्षेत्र के सेरी बंगलो स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परिसर में आयोजित जनमंच के दौरान लोगों ने पीने के पानी, बिजली, सडक, स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद इत्यादि से जुड़ी समस्याएं उठाई। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी अधिकारियों को सभी मामलों में समयबद्ध उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने चौरीधार पंचायत में विकास कार्यों में धांधली की शिकायत के मामले में बीडीओ को एक हफ्ते में जांच कर रिपोर्ट डीसी को सौंपने को कहा। 15 दिनों के भीतर इस मामले पर की गई कार्रवाई को लेकर उनके कार्यालय को अवगत करवाने के निर्देश दिए।

लोगों की मांग पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को खालूना और सेरी से महावन के लिए एचआरटीसी की बस सेवा बहाल करने के निर्देश दिए।

मैंहंडी पंचायत के रति राम चौहान ने गांव में पेयजल और सड़क की समस्या को रखा, जिस पर शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा।

कोटलू के कर्मसिंह द्वारा भनेरा कोटलू सड़क का काम सालों से लंबित होने का मामला उठाने पर मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरने की मांग पर उपनिदेशक उच्च व माध्यमिक शिक्षा को स्कूलों का निरीक्षण करने और युक्तिकरण की संभावनाएं तलाश कर उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा जिस स्कूल में 10 से कम बच्चे होंगे उसे बंद करने पर विचार किया जाएगा।

चौरीधार के अमीचंद ने पंचायत में नवनिर्मित पेयजल योजना की मोटर के बार बार जलने की शिकायत करते हुए इसे बनाने में हुई इंजिनीरिंग की गलती की बात कही, इस पर मंत्री ने आईपीएच और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को मौका देखने के निर्देश दिए। कहा मौके पर अमीचंद को भी बुलाएं, उनके सुझावों और व्यवहारिक ज्ञान का लाभ लें। भलखू राम का उदाहरण देते हुए कहा कि सामान्य व्यक्ति भी कई बार विशेषज्ञों को सही राह दिखाता है।

कार्यक्रम में 82 वर्षीय अमीर चंद ने निशानदेही का लंबित मामला उठाया, शिक्षा मंत्री ने इस पर एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ को मौका देख कर मामला निपटाने को कहा।

बेडूधार की निर्मिला देवी ने वर्ष 2015-16 में किए मनरेगा के काम में पैसों की अदायगी न होने की समस्या रखी, इस पर मंत्री ने बीडीओ को 3 दिन के भीतर समस्या हल करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा हिमाचल सरकार हर व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार लाने और समस्यामुक्त जीवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की है समाज में योगदान देने की क्षमता:धूमल

शिमला/शैल। समाज में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की योगदान देने की क्षमता होती है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार कुमार धूमल ने हमीरपुर के कृष्णानगर में डे केयर सेंटर के उद्घाटन करने के पश्चात उपस्थित लोगों को

संबोधित करते हुए यह शब्द कहे। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि समाज के निर्माण, उत्थान एवं आगे बढ़ने की दिशा में समाज के हर व्यक्ति का योगदान होता है। बच्चा अपने हिस्से का काम करता है, नौजवान अपने हिस्से का काम करता है एवं बुजुर्ग अपने जीवन भर के अनुभव का उपयोग करते हुए समाज को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हमीरपुर की हीरा नगर कृष्णा नगर वेलफेयर सोसायटी कृष्णा नगर निरंतर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभा रही है। उन्होंने कहा कि सोसायटी से जुड़े हुए लोग यदि इसी तरह अच्छा कार्य करते रहेंगे तो वह औरों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत्र बनेंगे एवं अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सोसायटी द्वारा निर्मित डे केयर सेंटर क्षेत्र के बुजुर्गो के लिए एक बेहतर सुविधा स्थान साबित होगा। उन्होने सोसायटी को विश्वास दिलाया कि यदि वे आगे भी इसी प्रकार से जन कल्याण के कार्य करते रहेंगे तो सरकार से उन्हें अधिक से अधिक मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे।

हमीरपुर के कृष्णा नगर में हीरा नगर कृष्णा नगर वेलफेयर सोसायटी के प्रयासों द्वारा डेकेयर सेंटर का निर्माण किया गया है। डे केयर सेंटर के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद सोसायटी को उपलब्ध कराई है जिसके लिए सोसायटी के सभी सदस्यों ने पूर्व सीएम का धन्यवाद प्रकट किया। सोसायटी ही इस डे केयर सेंटर की देखरेख एवं संचालन करेगी। सुबह 7:00 से दोपहर बाद 3:00 बजे तक एवं शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक प्रतिदिन क्षेत्र के बुजुर्ग यहां पर इकटठे होकर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। बुजुर्गो के लिए यहां पर बैठने की, इनडोर गेम्स खेलने की एवं दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की उचित व्यवस्था सोसायटी द्वारा की गई है।

इस अवसर पर सोसायटी के अध्यक्ष के.के.कटोच, एन.के.शर्मा, लेखराज शर्मा, भाग सिंह ठाकुर, शकुंतला धीमान, एसपी कौशल वार्ड पार्षद अनिल चौधरी सुनील ठाकुर इत्यादि सहित अन्य कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

प्रदेश में बनेगा 47.50 करोड़ का सेक्स सॉर्टिड सीमन फैसिलिटी सेंटर

शिमला/शैल। प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों को व्यापक बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि कृषकों को आय के अतिरिक्त साधन प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश को पशु पालन एवं डेयरी गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाती है।

प्रदेश में शीघ्र ही 47.50 करोड़ रुपये की लागत से एक सेक्स सॉर्टिड सीमन फैसिलिटी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित किए जा रहे इस केन्द्र के लिए स्वीकृति मिल गई है। इस केन्द्र में

देसी नस्ल की गाय के ऐसे इंजेक्शन तैयार किए जाएंगे, जिससे केवल मादा बछड़े ही पैदा होंगे, इससे सड़क पर बेसहारा पशुओं की समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा तथा किसान पशुधन गतिविधियां अपनाने के प्रति भी प्रेरित होंगे।

पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस केन्द्र को स्थापित करने पर कुल 47.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को 10 प्रतिशत धन ही खर्च करना होगा। प्रदेश में सेक्स सोर्टिड सीमन फैसिलिटी केन्द्र स्थापित करने के लिए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लमलैहड़ी में 740 कनाल भूमि का चयन कर लिया गया है। यह सरकारी भूमि है, जिसे पशु पालन विभाग के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा और यहां पर यह स्टेशन स्थापित होगा।

इस वर्ष 30 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रोजेक्ट सेंक्शनिंग कमेटी द्वारा इस सेक्स सोर्टिड सीमन फैसिलिटी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि का मशीनीकरण होने के बाद खेती में बैलों का प्रयोग काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से बछड़े पैदा होने पर लोग उन्हें सड़क पर बेसहारा छोड़ देते हैं। इस सुविधा के मिलने के बाद बेसहारा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिलेगा तथा किसानों की फसलों को नुकसान होने से भी बचाया जा सकेगा।

प्रदेश में पशु पालकों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कदम उठाए हैं जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों को 85 प्रतिशत और अन्य किसानों को 60 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने गोकुल मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैसों का फार्म तथा 34 करोड़ रुपये की लागत से गोकुल गांव स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी डेयरी सहकारी समितियों को चरणबद्ध तरीके से स्वचालित दूध संग्रह इकाई प्रदान की जाएंगी। प्रथम चरण में 40 नई स्वचालित दूध संग्रह इकाईयां तथा मिल्क एनालाईजर सहकारी समितियों को प्रदान की जाएंगी। दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दूध के खरीद मूल्य को इस वर्ष 2 रुपये प्रतिलीटर बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, दूध उत्पादकों की सुविधा के लिए जिला शिमला में दत्तनगर एवं जिला मण्डी में चक्कर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश में दो करोड़ रुपये की लागत से साहिवाल व रेडसिंधी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक आरम्भ की जाएगी। 11 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा।

भेड़ों में इनब्रिडिंग की समस्या से पशु पालकों को छुटकारा दिलाने और ऊन उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार ने 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के अंतर्गत उन्नत नस्ल की भेड़ों को आयात करने के लिए 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। इन सभी प्रयासों से निश्चित तौर पर किसान पशुधन गतिविधियां बढ़ाने के प्रति प्रेरित होंगे और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा

सरकारी भूमि पर कब्जों के मामलों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएं अधिकारी:डॉ.बिंदल

शिमला/शैल। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ.राजीव बिंदल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएं। ऐसे मामलों में नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जाए। डॉ. बिंदल सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बरोटीवाला में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनमंच में आई शिकायतों का समयबद्ध निदान करें तभी जनमंच सही मायनों में आम आदमी के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है।

डॉ. बिंदल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी पटवारी मौके पर जाकर खरीफ और रबी फसलों के उपरांत गिरदावरी करें। गिरदावरी के समय सड़कों का

इंद्राज भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना किसी भी भूमि की 'सेल डीड' न बनाई जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्राप्त धनराशि निर्धारित समयावधि में खर्च की जाए।

उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा आवासहीनों को 3 बिस्वा एवं 2 बिस्वा भूमि प्रदान करने मामलों में संपूर्ण कार्यवाही को शीघ्र निपटाया जाए। उचित हकदार न होने की स्थिति में प्रदेश सरकार को शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गो एवं गरीब व्यक्तियों के कार्य समय पर पूरे किए जाए।

डॉ. बिंदल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में प्रदूषण के विभिन्न मामलों के विरूद्ध गंभीरता से कार्यवाही की जाए।

इस जनमंच में कुल 82 शिकायतें एवं 230 मांगें प्राप्त हुई। इनमें से 62 शिकायतें जनमंच दिवस तथा 20 शिकायतें जनमंच पूर्व की अवधि में प्राप्त हुई। 209 मांगे जनमंच दिवस पर तथा 21 मांगे पूर्व जनमंच में प्राप्त हुई। इनमें से 20 शिकायतों का निपटारा जनमंच में तथा 12 शिकायतों का निपटारा जनमंच पूर्व की अवधि में कर दिया गया। 3 मांगों का भी निपटारा किया गया।

जनमंच में 14 जन्म प्रमाण पत्र, 75 हिमाचली प्रमाण पत्र, 58 चरित्र प्रमाण पत्र 3 समुदाय प्रमाण पत्र, 40 आय प्रमाण पत्र, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र तथा 102 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। 70 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध करवाई गई। 80 इन्तकाल भी किए गए। इस जनमंच में 108 व्यक्तियों का आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण किया गया। 17 व्यक्तियों को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस जारी किए गए। 52 मतदाता पहचान पत्र भी बनाए गए।

जनमंच के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नि:शुल्क शिविर में 346 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई। 98 रोगियों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। 11 व्यक्तियों का दंत परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 22 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र के लिए जांचा गया। इनमें से 18 व्यक्यिों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए।

इस अवसर पर रेडक्रास समिति सोलन द्वारा 6 व्हील चेयर एवं 5 हजार रुपये सहायता के रूप में वितरित किए गए। आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित नि:शुल्क जांच शिविर में 210 रोगियों का स्वास्थ्य जांचा गया। होम्योपेथी शिविर में 116 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित नि:शुल्क जांच शिविर में 2015 किसानों ने अपने पशुओं के परीक्षण के लिए पंजीकरण करवाया। विभाग द्वारा दूध के 35 नमूने एकत्र किए गए। मल के 54 नमूने एकत्र किए गए। इस जनमंच में 3000 से अधिक लोग मौजूद थे।

दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, दून की पूर्व विधायक विनोद चंदेल, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैणी, गौ संवर्धन आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. श्रीकांत शर्मा एवं डीआर चंदेल, भाजपा मंडल दून के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, उपायुक्त सोलन केसी चमन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अजय बंसल, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

44.12 करोड़ रुपये से बनेगा डेयरी फार्मिंग उत्कृष्टता केन्द्र:वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। प्रदेश में 44.12 करोड़ रुपये की लागत से डेयरी फार्म व प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होगा। यह जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने दी।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधुनिक डेयरी फार्म एवं ट्रेनिंग सेंटर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस केन्द्र के अधीन बनने वाले डेयरी फार्म में 400 दुधारू पशुओं को रखने की सुविधा होगी, जिसके लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। फार्म के बनने से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा इससे पशुधन व दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक की सहायता से पशुओं के गर्भधारण अन्य बीमारियों की रोकथाम भी हो सकेगी।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि नस्ल सुधार के अलावा इस आधुनिक डेयरी फार्म में किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि किसान वैज्ञानिक आधार पर पशुओं की देखभाल व प्रबंधान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां तैनात किए जाने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे पशुपालन में किसानों की भरपूर मदद कर सकेंगे। यह उत्कृष्टता केन्द्र प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में एक मील-पत्थर साबित होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

डॉ. रचना गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले पर देवाशीष भट्टाचार्य का राज्यपाल को पत्र

शिमला/शैल। प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य डा रचना गुप्ता लोक सेवा आयोग में आने से पहले पत्रकार थी। दैनिक जागरण के हिमाचल संस्करण की रैजिडैन्ट संपादक थी। दैनिक जागरण में काम करते हुए उनके खिलाफ 2016 में जे एम आई सी जोगिन्द्रनगर की अदालत में एक मानहानि का आपराधिक मामला दायर हुआ था। इस मामले में अब 12-7-2019 को उन्हें जमानत लेनी पड़ी है। यह मामला अभी तक अदालत में लंबित चल रहा है। डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति बतौर सदस्य लोक सेवा आयोग में होने से पहले से ही उनके खिलाफ यह आपराधिक मान हानि का मामला दायर हो चुका था। अब इस मामले को लेकर एक देवाशीष भट्टाचार्य ने प्रदेश के राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। देवाशीष ने यह सवाल उठाया है कि क्या रचना गुप्ता ने अपनी नियुक्ति से पहले यह आपराधिक मामला दायर होने की सूचना राज्यपाल और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दी थी। अब जब उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ी है तब क्या इस जमानत की सूचना भी राज्यपाल और चेयरमैन लोक सेवा आयोग को दी है।

स्मरणीय है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सरकार ने कोई मानक तय नहीं कर रखे हैं। इन पदों को विज्ञापित करके इनके लिये कोई आवेदन नही मंगवाये जाते है और न ही इन्हें चयन के लिये किसी साक्षात्कार बोर्ड के सामने आना पड़ता है। इनकी नियुक्तियां एकदम सरकार की ईच्छा पर निर्भर करती हैं। ऐसे में यह धारणा बनना स्वाभाविक है कि इन लोगों पर इन्हें नियुक्त करने वाली सरकार का प्रभाव तो रहेगा ही। लोक सेवा आयोग एक ऐसा संस्थान है जो प्रदेश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं एचए एस, एच पी एस, एच एफ एस और एच जे एस के लिये सदस्यों का चयन करता है। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने ऐसी वरिष्ठ सेवाओं के लिये चयन करना है उनका अपना चयन कैसे होना चाहिये? क्योंकि सेवा आयोग का सदस्य लग जाने के बाद उसके व्यक्ति को हटाने का अधिकार उस राज्यपाल के पास भी नही रह जाता है जिसने उसे नियुक्त किया होता है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है लेकिन उसके लिये भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाकर उसकी संस्तुति लेना आवश्यक है अन्यथा इन्हें नीयत समय से पहले हटाने का कोई प्रावधान नही है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या हो इस पर संविधान में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा गया है। यह लोग सरकार के प्रभाव से दूर रहे हैं इसके लिये यह बंदिश तो लगा रखी है कि आयोग छोड़ने के बाद यह लोग केन्द्र या राज्य सरकार में कोई पद स्वीकार नही कर सकते हैं। इस तरह लोक सेवा आयोग के सदस्यों/अध्यक्ष का चयन अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। क्योंकि इस समय जिस तरह से डा. रचना गुप्ता के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला सामने आया है इससे एक दम स्थिति बदल जाती है। जब सदस्यों के चयन के लिये कोई प्रक्रिया या मानक पहले से तय ही नही है तो ऐसे में किसी आपराधिक मामले का सदस्य के खिलाफ लंबित होने का वैधानिक प्रभाव क्या होगा? अब जब राज्यपाल को इस विषय में एक पत्र जा चुका है तो उस पर राजभवन की प्रतिक्रिया क्या रहती है यह देखना रोचक होगा।

स्मरणीय है कि पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का जो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था उस पर 15 फरवरी 2013 को आया फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में इन नियुक्यिों के लिये क्या आधार रहने चाहिये इस पर विस्तार से चर्चा की गयी है। जस्टिस ए. के. पटनायक और जस्टिस मदन वी लोकूर की खण्डपीठ में इस संबंध में जस्टिस पटनायक ने कहा है कि I, therefore, hold that even though Article 316 does not specify the aforesaid qualities of the Chairman of a Public Service Commission, these qualities are amongst the implied relevant factors which have to be taken into consideration by the Government while determining the competency of the person to be selected and appointed as Chairman of the Public Service Commission under Article 316 of the Constitution. Accordingly, if these relevant factors are not taken into consideration by the State Government while selecting and appointing the Chairman of the Public Service Commission, the Court can hold the selection and appointment as not in accordance with the Constitution. To quote De Smith's Judicial Review, Sixth Edition: "If the exercise of a discretionary power has been influenced by considerations that cannot lawfully be taken into account, or by the disregard of relevant considerations required to be taken into account (expressly or impliedly), a court will normally hold that the power has not been validly exercised. (Page 280) इसी में जस्टिस लोकूर ने कहा है In the view that I have taken, there is a need for a word of caution to the High Courts. There is a likelihood of comparable challenges being made by trigger-happy litigants to appointments made to constitutional positions where no eligibility criterion or procedure has been laid down. The High Courts will do well to be extremely circumspect in even entertaining such petitions. It is necessary to keep in mind that sufficient elbow room must be given to the Executive to make C.A. No. 7640 of 2011 constitutional appointments as long as the constitutional, functional and institutional requirements are met and the appointments are in conformity with the indicators given by this Court from time to time.

Given the experience in the making of such appointments, there is no doubt that until the State Legislature enacts an appropriate law, the State of Punjab must step in and take urgent steps to frame a memorandum of procedure and administrative guidelines for the selection and appointment of the Chairperson and members of the Punjab Public Service Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.

अब एक मामला लोक सेवा आयोग के सदस्यों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में भी लंबित चल रहा है। राज्य सरकार ने 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अब तक इस संद्धर्भ में कोई कदम नही उठा रखें हैं। अब देखना यह है कि राज्यपाल को आयी इस शिकायत और उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के चलते सरकार क्या कदम उठाती है।

SPEED POST 07.08.2019

To,

The Hon'ble Governor,
Govt. of Himachal Pradesh,
Raj Niwas,
Shimla, H.P.-171001.

SUBJECT: - HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION MEMBER Ms RACHNA GUPTA HAS OBTAINED BAIL IN A CRIMINAL DEFAMATION CASE WHICH IS PENDING IN JOGINDER NAGAR COURT.

Sir,

This is for your kind information that I was sent the certified copies of the court proceedings which indicate that one criminal defamation case was filed against Ms. Rachna Gupta, member Himachal Pradesh Public Service Commission, in 2016 in the court of the Learned JMIC Joginder Nagar. Copy of the criminal defamation petition is enclosed herewith.

After the prolonged arguments the learned court of JMIC Joginder Nagar held that "THE PRIMA FACIE ALLEGATIONS WHICH HAVE BEEN MADE AGAINST THE ACCUSED NO. 1 TO 4 ARE MADE OUT AT THIS STAGE UNDER SECTION 500,501 AND 504 OF IPC. ACCORDINGLY, LET THE ACCUSED PERSONS BE SUMMONED FOR 21.12.2107".

After this the said case was listed on 24.01.2018; 28.03.2018; 02.06.2018; 20.07.2018; 11.09.2018; 05.11.2018; 05.03.2019; 06.06.2019; 12.07.2019.

On 12.07.2019 Ms. Rachna Gupta presented herself in the court of Learned JMIC Joginder Nagar and was released on furnishing a bail bond of Rs. 10,000/-. The certified copy of the said bail bond is enclosed.

The certified copies relating to the appointment of Ms. Rachna Gupta as member of Himachal Pradesh Public Service Commission , which were obtained by me through RTI, does not indicate that the said Ms. Rachna Gupta has disclosed to the Government about the pending Criminal Defamation case against her at the time of her appointment.

It is also a matter of investigation that whether the said Ms. Rachna Gupta has informed the office of the Governor and the Chairperson of Himachal Pradesh Public Service Commission about her obtaining the bail in the said Criminal Defamation Case on 12.07.2019.

The post of the Member of Public Service Commission is a constitutional post and carries a dignity of faith of thousands of job aspirants with it. How can a person who is out on bail in a criminal case attain that dignified faith and discharge his/her duties without creating a shadow of doubt in the minds of the candidates who appear in front of them as candidates.

Therefore, on the basis of the above mentioned narration you are requested to:-

1. Direct Ms. Rachana Gupta to explain why she concealed vital information regarding her fācing a criminal case at the time of her appointment as the member of the Himachal Pradesh Public Service commission.

2. Direct an inquiry about her further possible concealment of the information after she submitted herself in the court of Learned JMIC Joginder Nagar and got herself out on bail by furnishing a bond of Rs. 10,000/-

3. Direct the Chairman of the Himachal Pradesh Public Service Commission to not to assign any Board/Job to Ms. Rachna Gupta till the pending Criminal Case against her is finally disposed.

4. Initiate action against Ms. Rachna Gupta for concealing the material fact at the time of her appointment.

Thanking you,
Yours faithfully,

(Dev Ashish Bhattacharya),
B-5, Pocket-7, Block-54,
Kendriya Vihar-II, Sector-82,
NOIDA, U.P.-201304,
Email ID: - rtidab@gmail.com
Mobile number: - 9810108363.

Sahib Dayal G. Son, A.S.M., Jal.

मुचलका वा जमानत

(जेर आर्डर 449 हस्व नमूना 42 जाब्ता फौजदारी)

मुचलका

नाम न्यायालय Ld. JMIC J.Nagar
Pawan Kumar बनाम Pradeep & other
जुर्म U/s 500 I.P.C.
मैं Rachna Gupta सुपुत्री श्री Praveen Kumar Gupta
साकिन Building, Longwood, Shimla तहसील ... जिला Shimla

का हूँ और इस लिखित के अनुसार प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस मुकदमें की सुनवाई के लिए जो भी तारीख इस न्यायालय से निश्चित होगी मैं हर एक पर उपस्थित होता रहूँगा। अगर इस मुकदमा सुनवाई के लिए किसी दूसरे न्यायालय में बदल जायेगा तो उसमें भी निश्चित होने तक उपस्थित होता रहूँगा। अगर किसी भी तारीख पर उपस्थित न हुआ तो मुबलिग 10,000/- रुपये का तावान हिमाचल प्रदेश सरकार का भेंट करूंगा। अतः यह मुचलका जाति बइकरार खुद लिख दिया है, कि सनद रहे।

आज दिनांक 12-7-2019 मास ... 20...

हस्ताक्षर ... मुलजिम

ATTESTED
SWAMI PATHANIA
Oath & Affidavit Commissioner
Joginder Nagar Distt Mandi
Pin 175015

जमानत

मैं Rajender Dogra सुपुत्री श्री Sagar Chand
साकन ... तहसील ... जिला ...
का हूँ और मुलजिम मजकूर Rachna Gupta
का जामन होकर इस लिखित के अनुसार प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो तारीख इस मुकदमे की सुनवाई के लिए इस न्यायालय से निश्चित होगी, हर उस तारीख पर मुलजिम मजकूर न्यायालय में हाजिर होता रहेगा। अगर यह मुकदमा सुनवाई के लिए किसी दूसरे न्यायालय में बदल जायेगा तो मुलजिम हर तारीख पर निश्चित होने तक वहां जाकर हाजिर होता रहेगा। अगर वह किसी भी तारीख पर हाजिर न हुआ तो मैं मुबलिग 10,000/- रुपये का तावान हिमाचल प्रदेश सरकार को भेंट करूंगा। अतः जमानत लिख दी है, कि सनद रहे।

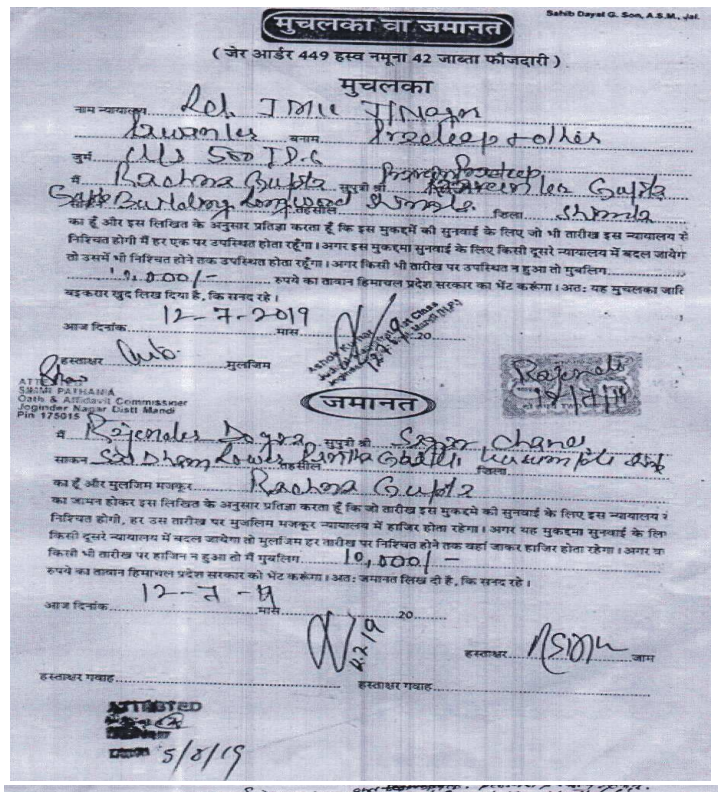

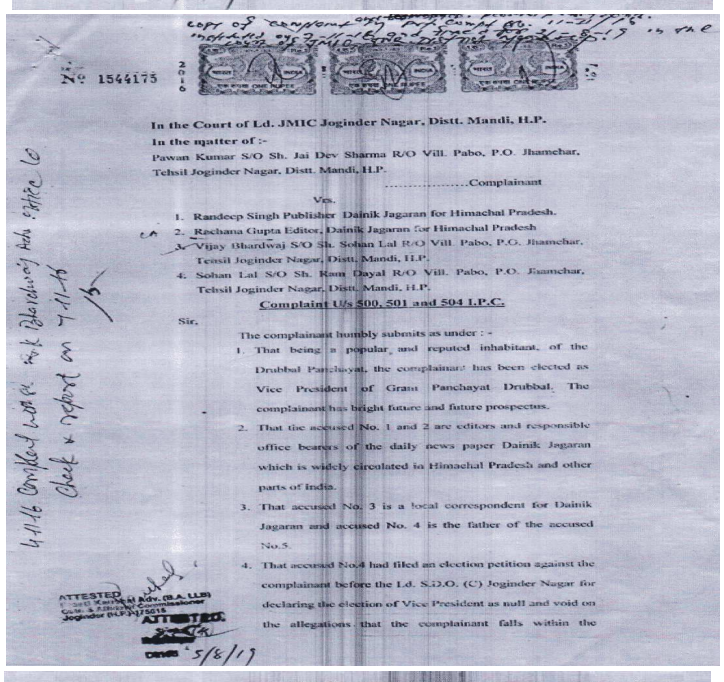

आज दिनांक 12-7-19 मास ... 20...

हस्ताक्षर ... जामन

हस्ताक्षर गवाह ... हस्ताक्षर गवाह ...

ATTESTED
Dated 5/8/19

№ 1544175

In the Court of Ld. JMIC Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.
In the matter of :-
Pawan Kumar S/O Sh. Jai Dev Sharma R/O Vill. Pabo, P.O. Jhamehar, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.
....................Complainant

Vrs.

1. Randeep Singh Publisher Dainik Jagaran for Himachal Pradesh.
2. Rachana Gupta Editor, Dainik Jagaran for Himachal Pradesh
3. Vijay Bhardwaj S/O Sh. Sohan Lal R/O Vill. Pabo, P.O. Jhamehar, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.
4. Sohan Lal S/O Sh. Ram Dayal R/O Vill. Pabo, P.O. Jhamehar, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

Complaint U/s 500, 501 and 504 I.P.C.

Sir,

The complainant humbly submits as under : -

1. That being a popular and reputed inhabitant, of the Drubbal Panchayat, the complainant has been elected as Vice President of Gram Panchayat Drubbal. The complainant has bright future and future prospectus.
2. That the accused No. 1 and 2 are editors and responsible office bearers of the daily news paper Dainik Jagaran which is widely circulated in Himachal Pradesh and other parts of India.
3. That accused No. 3 is a local correspondent for Dainik Jagaran and accused No. 4 is the father of the accused No.5.
4. That accused No.4 had filed an election petition against the complainant before the Ld. S.D.O. (C) Joginder Nagar for declaring the election of Vice President as null and void on the allegations that the complainant falls within the

ATTESTED
Dated 5/8/19

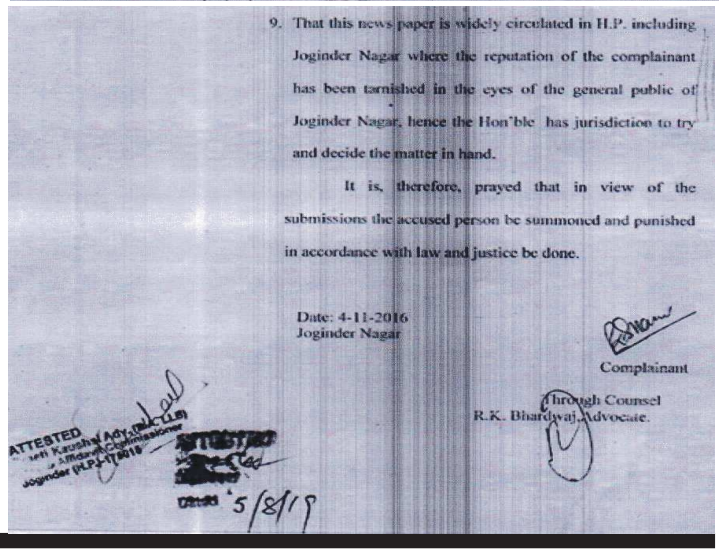

9. That this news paper is widely circulated in H.P. including Joginder Nagar where the reputation of the complainant has been tarnished in the eyes of the general public of Joginder Nagar, hence the Hon'ble has jurisdiction to try and decide the matter in hand.

It is, therefore, prayed that in view of the submissions the accused person be summoned and punished in accordance with law and justice be done.

Date: 4-11-2016
Joginder Nagar

Complainant

Through Counsel
R.K. Bhardwaj, Advocate.

ATTESTED
Dated 5/8/19